



टी बोर्ड
14, बिप्लवी त्रैलोक्य महाराज सरणी
कोलकाता-700001

फाइल सं. 88/रा.भा.प्र.रि./2026/29/8457

दिनांक 27.04.2026

परिपत्र

विषय: राजभाषा प्रावधानों का कार्यान्वयन

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि राजभाषा समीक्षा बैठक में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि ई-ऑफिस के माध्यम से प्रस्तुत की जाने वाली सभी टिप्पणियाँ और पत्राचार द्विभाषी रूप में किए जाएँ, और ऐसी टिप्पणियों तथा पत्राचार का प्रतिशत राजभाषा अनुभाग को सूचित किया जाए, ताकि मंत्रालय को प्रस्तुत की जाने वाली त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट में उन्हें शामिल किया जा सके।

राजभाषा के प्रगामी प्रयोग संबंधी सरकार की नीति के अनुसार, सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को एतद्वारा निर्देश दिया जाता है कि वे सरकारी कामकाज में राजभाषा के प्रयोग से संबंधित प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

(डॉ. अमृता चक्रवर्ती)
सचिव (प्रभारी)

वितरण :-

1.	बोर्ड के मुख्यालय, कोलकाता स्थित सभी विभागाध्यक्ष (उपाध्यक्ष को छोड़कर)	उनके अधीन काम करने वाले सभी कार्मिकों/अधिकारियों के बीच प्रसारित करने के अनुरोध सहित।
2.	कार्यपालक निदेशक, गुवाहाटी व कूनूर	
3.	बोर्ड के सभी आंचलिक, क्षेत्रीय एवं उप-क्षेत्रीय अधिकारी	
4.	उपाध्यक्ष/वि.स.एवं मु.ले.अ./सचिव के निजी सहायक	
5.	टीबीइए	
6.	संपदा अधिकारी	नोटिस बोर्ड में प्रदर्शित करने के अनुरोध सहित
7.	सचिवालय शाखा	
8.	आईटी कक्ष	बोर्ड के वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित
9.	स्थापना शाखा	अतिरिक्त प्रतियाँ सहित